भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 378
दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
+378. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) चरण दो के विशिष्ट घटक और उद्देश्य सहित विकसित बुनियादि ढाँचे के प्रकार और अब तक इन उद्देश्यों के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि शामिल है;

(ख) पश्चिम बंगाल में एनसीआरएमपी चरण दो के अंतर्गत स्थापित प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) की परिचालन प्रभावशीलता और कवरेज के विवरण सहित इसकी वर्तमान स्थिति और परिणाम क्या हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल में आपदा तैयारी और मोचन हेतु नादिया जिले के हरिंघटा में तैनात राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की दूसरी वाहिनी के कार्यबल, विशेष प्रशिक्षण, उपकरण और हाल के वर्षों में किए गए उल्लेखनीय अभियानों की जानकारी सहित इसकी भूमिका और योगदान क्या है; और

(घ) राज्य में आपदा लचीलापन और मोचन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एनसीआरएमपी पहलों और हरिंघटा स्थित दूसरी वाहिनी एनडीआरएफ के बीच समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) का उद्देश्य चक्रवातों के प्रति वल्नरेबिलिटी को कम करना और चक्रवात जोखिम प्रवण राज्यों में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ

सामंजस्य स्थापित करते हुए लोगों और अवसंरचनाओं को आपदा प्रतिरोधी बनाना था। इसे पश्चिम बंगाल सहित 8 तटीय राज्यों में दो चरणों में लागू किया गया था। चरण-I के तहत आंध्र प्रदेश और ओडिशा को और चरण-II के तहत छह राज्यों, अर्थात् गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया था।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 378, दिनांक 22.07.2025

एनसीआरएमपी में निम्नलिखित घटक शामिल थे:

घटक क: पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) - अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना

घटक ख: चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना (सीआरएमआई) - बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय, निकासी/पहुँच मार्ग/पुल, लवणीय तटबंध और भूमिगत केबलिंग

घटक ग: आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहायता

घटक घ: परियोजना प्रबंधन और निगरानी

जहाँ तक पश्चिम बंगाल राज्य का संबंध है, एनसीआरएमपी के घटक तथा इसके अंतर्गत विकसित अवसंरचना के प्रकार, जिन्हें पश्चिम बंगाल में चरण-II के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है, नीचे दिए गए हैं:-

चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना (सीआरएमआई) (उप-घटक/इकाई)	
बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (संख्या)	146
भूमिगत केबलिंग (किमी)	472.46 (किमी)

पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली (ईडब्ल्यूडीएस) पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एनसीआरएमपी चरण II के घटकों में से नहीं था। एनसीआरएमपी चरण II के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के लिए कुल 745.78 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से राज्य द्वारा 730.54 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था।

एनसीआरएमपी परियोजना मार्च, 2023 में बंद कर दी गई है।

(ग) और (घ) : हरिंगाटा में तैनात राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की दूसरी वाहिनी का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्षेत्र पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। इसमें 18 स्व-निहित विशेष खोज और बचाव (एसएआर) टीमों के साथ 1149 कर्मियों की स्वीकृत क्षमता है। सभी टीमें बाढ़ जल बचाव उपकरणों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं। एनडीआरएफ दूसरी वाहिनी, ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में 56 परिचय अभ्यास आयोजित किए हैं। उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय अभियानों में चक्रवात यास, 2021, चक्रवात जावद, 2021, चक्रवात सितरंग,

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 378, दिनांक 22.07.2025

2022, चक्रवात असानी, 2022, सिक्किम फ्लैश फ्लड, 2023, चक्रवात मोचा, 2023, चक्रवात दाना, 2024, चक्रवात रेमाल, 2024 और पश्चिम बंगाल बाढ़, 2024 के दौरान किए गए अभियान शामिल हैं।

एनसीआरएमपी के तहत निर्मित भौतिक अवसंरचनाओं के रखरखाव और स्थिरता की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। एनडीआरएफ दूसरी वाहिनी आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान पूर्व-स्थिति और तैनाती के लिए पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ निकट समन्वय बनाए रखती है।

एनसीआरएमपी के तहत विकसित बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय, चक्रवात और अन्य आपदाओं के दौरान राज्य सरकार की सहायता के लिए एनडीआरएफ का समय पर हस्तक्षेप राज्य की आपदा रेजिलिएंस और मोचन क्षमताओं के लिए प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

****